राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)

Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

क्रमांकः एफ–9 / रालसा / स्टोर / 2023–24 / 16692 दिनांकः 5/10/2023

खुली बोली सूचना संख्या – 03 / 2023–24

वित्तीय वर्ष 2023–24 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्यालय कार्यालय में जॉब बेसिस पर सफाई व्यवस्था हेतु इस क्षेत्र में कार्यरत संवेदकों / बोलीदाताओं से मोहरबंद बोलियां आमन्त्रित की जाती हैं:–

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (लाखों में)	बोली प्रतिभूति 2 प्रतिशत	बोली दस्तावेज राशि रु.	बोली जमा करने की तिथि व समय	बोली खोलने की तिथि का समय
1.	कार्यालय भवन व परिसर की सफाई कार्य के लिए	6.00 लाख	12000 / –	500 / –	दिनांक **16.10.2023** को दोपहर 03.00 बजे तक	दिनांक **16.10.2023** को दोपहर 04.00 बजे तक

निर्धारित समय के पश्चात् कोई बोली स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदा प्रपत्र शर्तें तथा अन्य आवश्यक विवरण राज्य लोक उपापन पोर्टल **Website: www.sppp.rajasthan.gov.in** पर देखी जा सकती हैं। निविदा प्रपत्र वेबसाईट से भी अपलोड किया जा सकता है, अपलोड किये निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 500 / – का निविदा प्रपत्र शुल्क का ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।

(संजय कुमार)
निदेशक
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर।

E:\Store_New\Cleaning Tendar\2023-24\Re_Tender\Open Boli.docx

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

बोली प्रपत्र

1. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, डाक का पता ....

....

....

दूरभाष / मोबाइल नं. .... बैंक खाता सं. ....बैंक

का नाम .... शाखा का नाम ....

.... IFSC Code ....

2. जिसको सम्बोधित किया गया– सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।

3. संदर्भ– बोली सूचना सख्या ....

दिनांक – ....

4. बोली शुल्क की राशि 500/– (रू. पांच सौ मात्र) नकद रसीद संख्या ....
दिनांक .... डी.डी./बैंकर्स चैक संख्या.. के द्वारा जमा करा दी गयी है/संलग्न है। वेबसाइट से बोली प्रपत्र डाउनलोड करने पर बोली शुल्क की राशि पृथक से डी.डी./नगद/बैंकर्स चैक द्वारा भुगतान की जानी है।

5 हम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी की गयी बोली सूचना संख्या .
.... दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त बोली सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।

इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लिखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

6. कार्यालय भवन की सफाई के लिए दर का विवरणः—

परिसर की जॉब बेसिस पर साफ—सफाई व्यवस्था आमंत्रित दर का विवरण

क्र. सं.	संविदा सेवा का नाम	श्रमिको को देय पारिश्रमिक जोकि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नही होगी। प्रति माह दर				EPF दर %	ESI दर %	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि रुपये में प्रति माह	कुल राशि रुपये में प्रति माह
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर प्रति श्रमिक	श्रमिकों की संख्या	कुल राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	परिसर की जॉब बेसिस पर साफ—सफाई व्यवस्था	अकुशल (फुल टाईम)	7410/-	1	7410/-	नियमानुसार	नियमानुसार	....	....
2.		अकुशल (पार्ट टाईम 4 घंटे से कम)	3705/-	8	29640/-	नियमानुसार	नियमानुसार	....	....

1. उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1 से 6 तक की पूर्तियाँ उपापन संस्था द्वारा बोली दस्तावेज में अंकित कर दी गई हैं तथा स्तम्भ संख्या 7 से 8 की पूर्ति फर्म पर लागू होने की स्थिति में प्रविष्टियाँ नियमानुसार की जावेगी। **स्तम्भ संख्या 9 एवं 10 में बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित किया जाना आवश्यक है।**
2. उक्त दरों पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रुप से देय होगी।
3. न्यूनतम निविदादाता का निर्धारण स्तम्भ संख्या 10 में दर्शायी गई राशि के आधार पर किया जावेगा।
4. श्रम विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 31.08.2023 में प्रस्तुत अकुशल सफाई श्रमिक एवं कुशल सफाई सुपरवाईजर की स्वीकृत दरों में सरकार द्वारा किये जाने वाले संशोधन इस बोली (निविदा) के लिए मान्य होंगे एवं दरों में संशोधन देय होगा।

बोलीदाता फर्म के हस्ताक्षर मय सील

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

बोली एवं संविदा की शर्तें

टिप्पणी–बोलीदाता को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढना चाहिए तथा अपनी बोली भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

1 राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 जिसे आगे "अधिनियम" एवं "नियम" कहा गया है तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इससे संबंधित वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन, आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे। बोलीदाता को "नियम" एवं "अधिनियम" की पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिये। बोली दस्तावेज तथा उपर्युक्त "अधिनियम" "नियम" में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर उक्त "अधिनियम" एवं "नियम" के प्रावधान ही प्रभावी होंगे।

2 बोलीदाता को बोली सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार बोली उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करनी चाहिए। लिफाफे पर कार्यालय भवन की सफाई हेतु निविदा लिखा होना चाहिए।

3 वास्तविक डीलर्स (Bonafide dealers) द्वारा बोली माल के वास्तविक डीलर्स द्वारा ही दी जायेगी इस सम्बन्ध में बोलीदाता द्वारा स्वघोषणा प्रस्तुत की जावेगी **(परिशिष्ट–अ)**।

4 1. फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

2. संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी, किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

5 जी.एस.टी कर पंजीयन– कोई भी डीलर जहां उसका व्यवसाय स्थित है, यदि राज्य में प्रचलित जी.एस.टी कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह बोली नहीं देगा। जी.एस.टी के पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा संबंधित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से कर चुकता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जावेगा, जिसके बिना बोली को निरस्त कर दिया जावेगा।

6 बोली प्रारूप स्याही से भरा जाएगा या टंकण किया जायेगा। पेंसिल से भरी गयी किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जायेगा। बोलीदाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

7 दर शब्दों एवं अंको दोनो में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियां एवं उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। अंकों एवं शब्दों में अन्तर होने पर शब्दों में अंकित राशि मान्य होगी।

8. **विधि मान्यता**– बोली, उनके खोले जाने के दिनांक से 90 दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

9. **निम्नलिखित दस्तावेज निविदा प्रपत्र के लिफाफे में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जायेगे। इनके अभाव में निविदा पर विचार नही किया जावेगा ।**

a. **बोली प्रपत्र जिसमें आपने दरें प्रस्तुत की गयी हो ।**

b. **बोली प्रपत्र एव शर्तें जिसके सभी पृष्ठों पर उसमें उल्लेखित शर्तों को स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हस्ताक्षर किये हुये हो ।**